राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ दिनांकः 12/7/12

सेवा में,

अधीक्षक/प्रभारी
केयर टेकिंग/स्टेशनरी क्रय शाखा के प्रभारी/अधीक्षक

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. लोक निर्माण विभाग
3. योजना विभाग
4. सतर्कता निदेशालय
5. शहरी विकास विभाग
6. वेतन एवं भुगतान कार्यालय
7. विधि व न्याय विभाग
8. प्रशासनिक सुधार विभाग
9. भागीदारी कक्ष
10. पर्यावरण विभाग
11. लेखा परीक्षा निदेशालय
12. पर्यटन विभाग
13. ऊर्जा विभाग
14. श्रम विभाग
15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
16. सूचना प्रौद्योगिकी
17. यमुना पार क्षेत्र विकास परिषद्

विषयः **दिल्ली सचिवालय** स्थित विभागों में **नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण–पत्र, इश्तहार,** होर्डिंग, **प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों प्रतीक चिह्न (लोगो),** फाइल कवरों, **बैनरों, प्रदर्शिनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री, प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित** कराने **संबंधी।**

महोदय/महोदया

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.2009, 4.1.2010, 30.4.2010, 26,7,2010, 14.01.2011, 3.5.2011 एवं 2.11.2011 को जारी परिपत्रों की और आकर्षित किया जाता है। उक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96–रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के का0ज्ञा0 सं0 1/14013/8/94– रा0भा0 ए–I में भी स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सचिवालय परिसर स्थित विभाग उक्त परिपत्रों तथा राजभाषा विभाग के उक्त ज्ञापनों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करवा रहे हैं। यहां ऐसे विभाग राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के अपने उपबंधों तथा इसके अधीन जारी आदेशों/निदेशों का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे हैं, वहां वे अधीन कार्यालयों उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में प्रेरणाप्रद संदेश नहीं दे पा रहे हैं और जिससे इस सरकार की भाषा नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने विभाग से संबंधित प्रचलित उक्त सभी प्रकार के उन प्रलेखों लोगो इत्यादि

की पहचान करके विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाने का कष्ट करें, तत्पश्चात् जो प्रलेख इत्यादि हिन्दी में नहीं है उन्हें हिन्दी में प्रकाशित/तैयार करवाने इत्यादि में यथोचित आगामी कार्रवाई करके अपने भरपूर सहयोग से सरकार की भाषा नीति सफल बनाने में सहयोग करें।

भवदीया

(डॉ० नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी
दूरभाष संख्या : 23392355

फा.स. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ 1182 दिनांक: 12/7/12

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित।

1. सभी भाषा अकादमियां, साहित्य कला परिषद्, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, नई दिल्ली के केयर टेकिंग शाखा/स्टेशनरी क्रय शाखा/ प्रचार शाखा के प्रभारी अधिकारियों।
2. सलाहकार (जन कल्याण), जनशिकायत निवारा प्रकोष्ट, मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान, न्यास सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28.
4. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31, उत्तरी परिसर, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।
5. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को विभागीय वेबसाइट में डाउनलोड करने के अनुरोध सहित।
6. गार्ड फाईल।

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी